HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पति का गला दबाकर हत्या करने के मामले में हत्यारोपी पत्नी व प्रेमी को सश्रम आजीवन कारावास व 50,000-50,000/- हजार रुपये (कुल एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 21.04.2026 को मा0 न्यायालय के द्वारा पति का गला दबाकर हत्या करने के मामले में हत्यारोपी पत्नी व प्रेमी को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 27.08.2024 को अभियुक्तगण 1- रुखसार उर्फ रुखसाना पत्नी स्व0 इमरान ग्राम छपकौली थाना बाबूगढ जनपद हापुड द्वारा अपने प्रेमी 2. समीर पुत्र ईसुब निवासी ग्राम छपकौली थाना बाबूगढ जनपद हापुड के साथ मिलकर अपने पति इमरान का गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बाबूगढ़ पर मु0अ0सं0 260/2024 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 17.11.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.04.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 50,000-50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (डी.जी.सी) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री विजय गुप्ता एवं पैरोकार म0का0 मोनू मलिक व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 विपिन कुमार, है0का सचिन कुमार का विशेष योगदान रहा।